संख्या–3278/ III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015

प्रेषक,

एसएस0 पांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय– वित्तीय वर्ष 2016–17 में विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के अन्तर्गत 03 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षे0का0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 03 कार्यो के प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी लम्बाई 13.00 किमी एवं लागत ₹ 139.32 लाख है, **पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 139.32 लाख (₹ एक करोड़ उन्चालीस लाख बत्तीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00

–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–488/XXVII/(2)/2016 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

<u>संख्याः– /III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोनिवि0, पौड़ी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड।

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

संख्या–3278 /।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 3 जनवरी, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क. सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत थलगढ़–डाडौं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	4.00	48.35	0.10
2	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाणा–स्यालतरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	4.00	48.35	0.10
3	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत रा0इ0का0 चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। **(प्रथम चरण)**	5.00	42.62	0.10
	कुल	**13.00**	**139.32**	**0.30**

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, PWD (S038)

ठन पत्र संख्या - 3278/III(2)/16-04(M.L.A)/2015

अलोटमेंट आई डी - S1701220031

अनुदान संख्या - 022

आवंटन पत्र दिनांक -03-Jan-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला तथा अन्य सड़के

800 - अन्य व्यय

03 - राज्य सेक्टर

02 - नया निर्माण कार्य

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	8930000	30000	8960000
	8930000	**30000**	**8960000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 30000

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक- 23 / 20 याता0'क' / 2017 दिनांक- 10.01.2017

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर- I, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभिन्यता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

IT head (op.) Upload! 17/1/17

09/01/17

वरिष्ठ ... अधिकारी
कार्यालय प्र... एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून